प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 24.12.2024

- **थाना रूरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 18.12.2024 को शराब की दुकान के सेल्समैन से हुई लूट की घटना के अनावरण के क्रम में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।**
- **थाना रूरा पुलिस की कार्यवाही से लूट की घटना में शामिल 01 नफर शातिर लुटेरे को 11,600/- रुपये व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त को संरक्षण देने वाले 01 नफर साथी को भी 01 अदद तमंचा 312 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर नाजायज के साथ किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 18.12.2024 को वादी श्री सौरभ यादव उम्र 28 वर्ष पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ढकाऊ थाना उसराहर जनपद इटावा द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 18.12.2024 स्विफ्ट डिजायर कार न. UP 77AP 0994 मे सवार 6 अज्ञात अभियुक्तो द्वारा वादी व उसके सेल्समैन साथी कमल शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा निवासी नरसूझा थाना रूरा कानपुर देहात जो मोटरसाइकिल पर पीछे वैठा था से तमंचा की बट मारकर गहलो बाजार ठेका, नरसूझा ठेका ,कारी ठेका का कलैक्सन कैश के 94,800 रूपये का बैग छीन लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 433/2024 धारा 310 (2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त 1.अभय चौहान उर्फ कल्लू पुत्र जयविजय सिंह उर्फ दीपू सिंह निवासी ग्राम जठरौली थाना गजनेर कानपुर देहात उम्र 19 वर्ष। 2. अमन चौहान पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम मुर्रा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र 24 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 23.12.2024 को रेलवे अण्डरपास ग्राम सराया से समय 17:20 बजे रात्रि गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अभय चौहान उपरोक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 433/2024 धारा 310 (2)/317(3) BNS से सम्बन्धित लूट के 11,600/-रूपये व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद व अभियुक्त अमन चौहान उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 312 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर नाजायज बरामद हुए।

अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी व बयानो के के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 254 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तो को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण –

1.अभय चौहान उर्फ कल्लू पुत्र जयविजय सिंह उर्फ दीपू सिंह निवासी ग्राम जठरौली थाना गजनेर कानपुर देहात।

2. अमन चौहान पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम मुर्रा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- अभय चौहान उर्फ कल्लू पुत्र जयविजय सिंह उर्फ दीपू सिंह निवासी ग्राम जठरौली थाना गजनेर कानपुर देहात उम्र 19 वर्ष ने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया दिनांक 18.12.2024 को रूरा शिवली मार्ग पर रिन्द नदी के पास शराब ठेके के सैल्समेन से लूट की थी जिसमें मेरे साथ 1. नफीस पुत्र मुनार अली निवासी जठरौली, थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात , 2.दीपक सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम कछवाहिनपुर, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर , 3.हेमन्त सिंह पुत्र शिवगोपाल सिंह उर्फ छुट्टन सिंह सेंगर निवासी ग्राम बखरिया थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर , 4.शिवा गौतम पुत्र घसीटे गौतम निवासी कछवाहिनपुर थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर, 5. रोहित कुमार पुत्र हुबलाल गौतम निवासी ग्राम तरगांव थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर का एक गिरोह है जो अपने ऐशो आराम व शौक को पूरा करने के लिए आस पास के क्षेत्रों में लूट छिनैती तथा चोरी जैसी घटनाओ को अंजाम देता है। गैंग के सदस्यों में नफीस अली के परिवार के सदस्य जिनका अपराधिक इतिहास है तथा इनकी कार स्विफ्ट डिजायर कार न. UP77AP0994 का उपयोग इस तरह की घटनाओं को कारित करने में करते हैं ।मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटना की कार्ययोजना में राजा पुत्र दसवान सिहं निवासी ग्राम जठरौली थाना गजनेर कानपुर देहात तथा कपिल पुत्र अज्ञात निवासी आलापुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर की मुखविरी पर हम लोग दिनांक 17/12/2024 की शाम को कस्वा अकवरपुर के मोहल्ला नवीपुर स्थित होटल मधुवन मे एकत्रित हुए थे । जहां पर हम सभी आठों लोगों ने मिलकर उक्त घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। बनाई गयी योजना के अनुसार हम लोग शिवली रूरा मार्ग पर ग्राम गहलो के पास उक्त कार में सवार होकर गये थे ।कपिल और राजा अलग से दूसरी मोटर साइकिल पर थे । जो सेल्समैन कमल शर्मा व सौरभ यादव पर नजर रखे हुए थे ।उन्हे उक्त दोनो के कलेक्शन के पैसे लेकर रोज सुबह मोटर साइकिल से रूरा जाने की जानकारी थी ।उक्त दोनो ने उनका पीछा करने और मोबाइल पर हमको सूचना देने पर हम लोगो ने उन्हे रिन्द नदी के पहले सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी अड़ाकर रोक लिया था और उनका रूपये से भरा बैग छीन लिया था उनके विरोध करने पर मेरे द्वारा तंमचे की बट से पीछे बैठे व्यक्ति के मांथे पर मारा था जिससे वह लहूलुहान भी हो गया था और उसने बैग छोड़ दिया था । हम लोग बैग लेकर शिवली मार्ग पर केसरी निवादा नहर पुल से भेवान नहर पुल औनहा चौकी फिर शहबाजपुर नहर पुल से रसूलावाद की तरफ जा रहे थे कि पुलिस की जीप मिल जाने पर विषधन तिराहा रसूलावाद से विषधन रोड पर भाग रहे थे । रास्ते में पैट्रोल पम्प के पास ड्रम लगाकर पव्लिक द्वारा रोके जाने पर भागने व आगे चलकर मुख्य मार्ग छोड़ते हुये नहर रास्ते से ग्राम नोहा नौगांव की तरफ भागे थे ।जहां आगे रास्ता न मिलने पर गांव किनारे विलायती बबूलों के जंगलो की आड़ में अपनी गाड़ी छुपाकर सरसों के खेतो में छिप गये थे ।इसके बाद नहर बम्बी पार कर दक्षिण तरफ खेतों व मेड़ो से होते हुए विलायती बबूल के जंगल मे छिप गये थे जहां पुलिस द्वारा घेराबन्दी करके पुलिस मुठभेड़ मे मेरे चारो साथी नफीस पुत्र मुनार अली निवासी जठरौली, थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात , दीपक सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम कछवाहिनपुर, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर , हेमन्त सिंह पुत्र शिवगोपाल सिंह उर्फ छुट्टन सिंह सेंगर निवासी ग्राम बखरिया थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर , शिवा गौतम पुत्र घसीटे गौतम निवासी कछवाहिनपुर थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर को पकड़ लिया गया था। मै और रोहित जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ दूर जाकर हम दोनो लोगो ने रमन चौहान व अमन चौहान को व्हाट्अप कॉल व मैसेज करके मो0सा0 से बुलाया था उक्त दोनो लोग मुझे व रोहित को अपनी मो0सा0 से पुलिस गिरफ्तारी से बचाकर नवीपुर होटल में लेकर गये थे। उक्त लूट की घटना मे

हमे लगभग 95,000 रूपया मिला था जो हमने आपस मे अपनी अपनी भूमिका के अनुसार आपस मे बांट लिया था। आज जो मुझसे 11,600/- रूपये बरामद हुए है उसी लूट के हैं।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 433/2024 धारा 310 (2)/317(3)/254 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रुरा कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. लूट के 11,600/- रूपये।
2. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।
3. 01 अदद तमंचा 312 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 जनार्दन प्रताप सिंह सिंह
2. व0उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह
3. उ0नि0 श्री अभिनेष कुमार
4. का0 257 लवकुश चौधरी
5. का0 653 विवेक कुमार
6. का0 71 जितेन्द्र सिंह
7. का0 771 सुरेन्द्र कुमार पाल